न्यायालयः–उप जिला कलेक्टर उपखण्ड किशनगंज जिला बांरा

पीठासीन अधिकारी :–श्री चन्दन दुबे (आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्याः– 300 / 2019
दायरा दिनांक :– 19. 06. 2019
निर्णय दिनांक :– 09. 12. 2019

बउनवान

भागचन्द उम्र 65 वर्ष पुत्र भंवर लाल जाति हरिजन निवासी रामगढ़ हाल निवासी डी. सी. एम. कोटा जिला कोटा (राज.)

......प्रार्थी

–:बनामः–

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज.)

.. ..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय दिनांकः– 09. 12. 2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट जरिये अभि0 रामकिशन नागर इस आशय का पैश किया –

1. यह कि वाकै ग्राम थाना तहसील किशनगंज जिला बारां में खसरा नं. 44/1 रकवा 8.00 बीघा स्थित है। जो प्रार्थी को आंवटन की गई थी। और आवंटन के बाद से आज दिन तक प्रार्थी ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी का आंवटन फार्म भरते समय हल्का पटवारी ने प्रार्थी एवं उसके पिता का परिवार में बोलता नाम भागल्या पुत्र भंवरयां गलत अंकन कर दिया। और आंवटन कमेटी द्वारा इसी नाम भागल्या पुत्र भंवरयां से आंवटन कर राजस्व रिकार्ड में अमल कर दर्ज कर दिया। तब से आज दिन तक प्रार्थी का नाम भागल्या एवं प्रार्थी के पिता का नाम भंवरयां दर्ज चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भागचन्द एवं प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम भंवर लाल है। उक्त त्रुटी अज्ञानतावश सहवन से हुई है जो कि लिपिकीय त्रूटी के अन्तर्गत आती है। जिसको प्रार्थी सही दर्ज करवाकर दूरस्त करवाने का अधिकारी है।

2. यह कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अलावा अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजों

......2

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

जैसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी प्रार्थी के आधार कार्ड भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड तथा कोटा इलेक्ट्रीसीटी विभाग द्वारा जारी विद्युत बिल में प्रार्थी का वास्तविक नाम भागचन्द एवं प्रार्थी के पिता का नाम भंवर लाल ही अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी एवं उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में भागल्या पुत्र भंवरया एवं अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजों में भागचन्द पुत्र भंवर लाल भिन्न–भिन्न होने के कारण प्रार्थी अपने खाते की आराजी मे कृषि विकास कार्य जैसे कृषि लोन नहीं ले पाना, मेंढबन्दी के कार्य नही करवा पाना आदि कार्यो में प्रार्थी को असुविधा का सामना करना पड़ता है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं उसके पिता के बोलते नाम दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी को अनेक परेशानियां उठानी पड़ रही है एसी परिस्थिति में प्रार्थी एवं उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अपना एवं अपने पिता का नाम भागल्या पुत्र भंवरया के स्थान पर भागचन्द पुत्र भंवर लाल सही दर्ज करवाने के लिये अप्रार्थी से भी निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने भी उक्त नाम सही करने में असमर्थता जाहिर कर श्री मान न्यायालय में उक्त कार्यवाही के लिये कहा इसी कारण प्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र उचित न्याय शूल्क पर अवधि मध्य, माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पैश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाकै ग्राम थाना तहसील किशनगंज जिला बारां में खसरा नं. 44/1 रकबा 8.00 बीघा में चालू राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी एवं उसके पिता का नाम "भागल्या पुत्र भंवरया" के स्थान पर "भागचन्द पुत्र भंवर लाल" सही दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें। एवं अन्य न्यायोचित सहायता दिलायी जावें।

रिपोर्ट सरीस्ता ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी हैतु सम्मन जारी किये गये। नियत तिथि पर अप्रार्थी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त एवं पैरोकार सरकार स्वयं उपस्थित। नियत तिथि पर प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का नोटरी से तस्दीक शुदा शपथ पत्र एवं पी.डब्लु.–1 स्वयं प्रार्थी एवं पी.डब्लु–2 मदन लाल पुत्र सूण्डी लाल के बयान करवाये।

पी.डब्लु.–1 स्वयं प्रार्थी ने बयान दिया कि वाकै ग्राम थाना मे खसरा नं. 44/1 की 8.00 बीघा आराजी मेरे खाते एवं कब्जे की आराजी है जो मुझे आंवटन की गई थी लेकिन आंवटन के समय हल्का पटवारी ने आंवटन के समय मेरा एवं मेरे पिता का परिवार में बोलता नाम भागल्या पुत्र भंवरया गलती से दर्ज कर दिया तब से आज दिन तक मेरा नाम भागल्या एवं मेरे पिता का नाम भंवरयां दर्ज चला आ रहा है। जबकि मेरा वास्तविक नाम भागचन्द एवं पिता का नाम भंवर लाल है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

......3

Scanned by CamScanner

गवाह ने आगे अपने बयानो में कथन किया कि समस्त सरकारी दस्तावेजो जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड तथा कोटा बिजली विभाग द्वारा जारी विद्युत बिल मे मेरा नाम भागचन्द एवं मेरे पिता का नाम भंवर लाल ही अंकित है। जिनकी फोटों प्रतिया मेंने पत्रावली में पैश की है। इस प्रकार मेरा एवं मेरे पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में भागल्या पुत्र भंवरया एवं अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजों में भागचन्द पुत्र भंवर लाल भिन्न–भिन्न होने के कारण मुझे अपने खाते की आराजी मे कृषि विकास कार्य जैसे कृषि लोन नहीं ले पाना, मेंढ़बन्दी के कार्य नही करवा पाना आदि कार्यो में मुझे अनेक परेशानियां उठानी पड़ रही है अतः चालू राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम भागल्या पुत्र भंवरया के स्थान पर भागचन्द पुत्र भंवर लाल सही दर्ज किया जावे। पी. डब्लू–2 मदन लाल पुत्र सूण्डी लाल ने अपने बयानों मे कथन किया किया कि मैं प्रार्थी भागचन्द को जानता पहचानता हूँ। तथा प्रार्थी के पिता भंवर लाल को भी जानता था प्रार्थी का वास्तविक नाम भागचन्द है। एवं उसके पिता का वास्तविक नाम भंवर लाल है और भागचन्द ही वर्तमान मे उक्त अराजी को काश्त कर रहा है। भागल्या पुत्र भंवरया प्रार्थी एवं उसके पिता का परिवार में बोलता नाम था। अतः चालू राजस्व रिकार्ड में भागल्या पुत्र भंवरया के स्थान पर भागचन्द पुत्र भंवर लाल सही दर्ज किया जावे।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दुओं को दोहराया पत्रावली मे उपलब्ध समस्त सरकारी दस्तावेजो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड तथा कोटा बिजली विभाग द्वारा जारी विद्युत बिल की फोटों प्रतिया एवं स्वयं का नोटरी से तस्दीक शुदा शपथ पत्र एवं पी.डब्लु.–1 स्वयं प्रार्थी एवं पी.डब्लु–2 मदन लाल पुत्र सूण्डी लाल के बयानो गहनता से अवलोकन किया गया। इन सबके विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि

–:कियात्मक आदेशः–

वाकै ग्राम थाना पटवार हल्का असनावर तहसील किशनगंज जिला बांरा में स्थित आराजी खसरा नं. 44/1 रकबा 8. 00 बीघा के चालू राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं उसके पिता का नाम "भागल्या पुत्र भंवरया" के स्थान पर "भागचन्द पुत्र भंवर लाल" दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 09. 12. 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बांरा (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2020.02.10 14:48:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: